

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - वाखिल खारीज

अभिलेख संख्या - 208/16/17

12/208

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

12/5/16

श्री पुनम बाणा पिता स्व. रामजी राणा

ग्राम अमरपुरवरी अंचल देवरी जिला

गिरिडीह द्वारा निम्नांकित व्योरे की जमीन का वाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री पारादीश-नारायण सिंह

पिता स्व. साहदेव नारायण सिंह ग्राम जोवरघोली

अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 11609

दिनांक 15.07.81 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
जोवरघोली	251	62	728	05.570

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जांच कर जांच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 28/5/16 को उपस्थापित करें।

बाकालीन अंचल अधिकारी का अभिलेख जोवरघोली केवाला अंचल अधिकारी के अभिलेख में दर्ज कर 27 पर 2-प्राग अभिलेखों को आवेदन पत्र के अंतर्गत नया दिनांक 28/5/16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी, देवरी।

अंचल अधिकारी, देवरी।

30/5/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपत्ति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास / रैयती / बकास्त / खाते की है जिसकी जमाबंदी पजी II के भेलूम संख्या III के पृष्ठ संख्या 41 पर विकेता के अज्ञात सुनु सिंह के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण केता श्री/श्रीमति पुनीत राणा पिता/मति स्व. ज्ञानकी राणा ग्राम पामरपुरको के नाम किया जाता है।

ग्राम	थाना न0	प्लॉट न0	रकबा	माल
जीकरौली	251	728	05570	05 पैका

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

मिनिस्टर ऑफ़ रूर
देवरी